कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः3291 /XXV-31/2023 देहरादून दिनांक 12 जून, 2024

सेवा में, **ELECTION-URGENT**

अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, रूडकी,
हरिद्वार।

विषयः– **उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद चमोली की 04–बद्रीनाथ एवं जनपद हरिद्वार की 33–मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन, 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–100/ECI/UKD-LA/3/2024/NS-II दिनांक 11 जून, 2024 एवं पत्र संख्या–100/ECI/UKD-LA/4/2024/NS-II दिनांक 11 जून, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग द्वारा जनपद चमोली की 04–ब्रदीनाथ विधान सभा क्षेत्र एवं जनपद हरिद्वार की 33–मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा उप निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक–14 जून, 2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त अधिसूचनाओं को उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के दिनांक–14 जून, 2024 के असाधारण अंक में प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः भारत निर्वाचन आयोग की उक्त अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने के निदेश हुए है कि, उक्त अधिसूचनाओं को राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित गजट की 25–25 (पच्चीस) प्रतियां यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

Signed by Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 12-06-2024 11:25:15
(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्याः– **XXV-31 /2023/तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः–1–सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचनाओं की प्रति सादर सूचनार्थ।

2–जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली/हरिद्वार को आयोग के उपरोक्त वर्णित पत्रों के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक–14 जून, 2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3–रिटर्निंग आफिसर, 04–बद्रीनाथ जनपद चमोली एवं 33–मंगलौर जनपद हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 14 जून 2024 को प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

दिनांक: 14 जून, 2024

24 ज्येष्ठ, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/भा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/3/2024/उ0अनु0-2:- यत; उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में **04-बद्रीनाथ विधान सभा** निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी के दिनांक 17.03.2024 को त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप पद रिक्त हो गया है; और

2. यत; इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3 यत; अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का 43 की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा:-

(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा में **04-बद्रीनाथ विधान सभा** निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 15 जुलाई, 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	21 जून, 2024 (शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	24 जून, 2024 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	26 जून, 2024 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	10 जुलाई, 2024 (बुधवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा:	15 जुलाई, 2024 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE OF UTTARAKHAND DATED 14TH JUNE, 2024.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

DATED: 14TH JUNE,2024
24 JYAISHTHA, 1946 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/UKD-LA/3/2024/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Rajendra Singh Bhandari in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state, elected from **04-Badrinath** Assembly Constituency has become vacant on 17.03.2024 by the reason of his resignation; **and**

2. **WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE,** in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: -

(A) **Calls upon** the said **04-Badrinath** Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 15th July, 2024 (Monday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand State;

(B) **Appoints,** with respect to the said election: -

(a) The 21st June, 2024 (Friday), as the last date for making nominations;
(b) The 24th June, 2024 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) The 26th June, 2024 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidature;
(d) The 10th July, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken up; and
(e) The 15th July, 2024 (Monday)), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from **8.00 AM to 8.00 PM,** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

(RAHUL SHARMA)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

By e-mail/Speed post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,New Delhi-110001.

No.100/ECI/UKD-LA/4/2024/NS-II

To

Dated:11th June, 2024

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun

Subject:Bye-election from 33-Manglaur Assembly Constituency in the State of Uttarakhand – Notification - regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has announced on 10th June, 2024 the schedule for holding the bye-election to fill the vacancies from **33-Manglaur** Assembly Constituency caused due to death of Shri Sarwat Karim Ansari.

2. In this connection, I am directed to forward herewith, in advance, the Commission's Notification No. 100/ECI/UKD-LA/4/2024/NS-II, dated 14th June, 2024 and to request that necessary arrangements may kindly be made for its publication in an extraordinary issue of State Gazette on dated 14th June, 2024.

3. Six copies of the Gazette containing the above mentioned notification may kindly be forwarded to the Commission as soon as it is published.

4. The hours of poll will be from 8.00 AM to 6.00 PM on 10.07.2024 (Wednesday).

5. The Counting of votes will be at 8.00AM on 13.07.2024 (Saturday).

6. The receipt of this letter together with its enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Kuldeep Negi

(KULDEEP NEGI)
SECTION OFFICER

उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 14 जून 2024 को प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

दिनांक: 14 जून, 2024

24 ज्येष्ठ, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं: 100/भा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/4/2024/उ0अनु0-2:- यत; उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में 33-मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सरवत करीम अंसारी के दिनांक 30.10.2023 आकस्मिक निधन होने के परिणामस्वरूप पद रिक्त हो गया है; और

2. यत; इस प्रकार उत्पन्न रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3 यत; अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का 43 की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा:-

(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा में 33-मंगलौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 15 जुलाई, 2024 से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख:	21 जून, 2024 (शुक्रवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख:	24 जून, 2024 (सोमवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख:	26 जून, 2024 (बुधवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा:	10 जुलाई, 2024 (बुधवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा:	15 जुलाई, 2024 (सोमवार)

नियत करता है; और

(इ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

TO BE PUBLISHED IN THE EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE OF UTTARAKHAND DATED 14TH JUNE, 2024.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

DATED: 14TH JUNE, 2024
24 JYAISHTHA, 1946 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/UKD-LA/4/2024/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Sarwat Karim Ansari in the Legislative Assembly of the Uttarakhand State, elected from **33-Manglaur** has become vacant on 30.10.2023 by the reason of his death; **and**

2. **WHEREAS,** a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE,** in pursuance of sub-section(1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: -

(A) **Calls upon** the said **33-Manglaur** Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 15th July, 2024 (Monday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand State;

(B) **Appoints**, with respect to the said election: -

(a) The 21st June, 2024 (Friday), as the last date for making nominations;
(b) The 24th June, 2024 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
(c) The 26th June, 2024 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidature;
(d) The 10th July, 2024 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken up; and
(e) The 15th July, 2024 (Monday)), as the date before which the election shall be completed; and

(C) Fixes the hours from **8.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

(RAHUL SHARMA)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA